



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

[संसद द्वारा पारित अधिनियम 1996, (1997 का क्रमांक 3) के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय]
[A Central University established by Parliament by Act No. 1996 (3 of 1997)]

प्रो. आनन्द पाटील
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Prof. Anand Patil
Registrar (Acting)


दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

पत्रांक : 017/सा.सु. दि.नि./88/87
दिनांक : 18.10.2024

सूचना

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024' का शुभारंभ दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को अपराह्न 03:00 बजे, गालिब सभागार, तुलसी भवन, विश्वविद्यालय परिसर में होगा।

उक्त कार्यक्रम में समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की सहभागिता अपेक्षित है।


(प्रो. आनन्द पाटील)

प्रति : समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. वित्ताधिकारी कार्यालय
4. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
5. स्थापना एवं प्रशासन विभाग
6. लीला प्रभारी- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. रक्षित पत्रावली